

23.09.19

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./19/1510 दिनांक 27.08.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 09.09.2019 से पूर्व इस न्यायालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जावे। इसके पश्चात् भी लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नहीं होने पर पुनः नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./19/1636 दिनांक 18.09.2019 जारी कर अपील का बिन्दुवार जवाब दिनांक 23.09.2019 से पूर्व भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.07.2019 को लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर को सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/प्रेषित किया गया था। दिनांक 13.08.2019 तक भी प्रार्थी/अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसे दर्ज रजिस्टर कराया जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू को नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा नियत तारीख पेशी तक ना तो इस न्यायालय को कोई जवाब भिजवाया है ना ही अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में कोई जवाब प्रेषित किया गया है।

पालना पथ
7127
1809-10
15/10/19


कार्यवाही

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, चौमू से सूचना चाही गई है लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस न्यायालय को नियत तिथी तक विन्दुवार जवाब/सूचना आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। इस हेतु लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर एवं प्रार्थी को पालना हेतु पत्र जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


(डॉ. अशोक कुमार)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर